2017 का विधेयक सं.13

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में धारा 73-क का अन्त:स्थापन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), में विद्यमान धारा 73 के पश्चात् एवं विद्यमान धारा 74 से पूर्व, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**73-क. अन्तरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधृति आधार पर होना.-** (1) धारा 71 या धारा 73 के अधीन भूमि का प्रत्येक अन्तरण या तो पूर्ण स्वामित्व आधार पर या पट्टाधृति आधार पर होगा।

(2) पट्टाधृति आधार पर विक्रीत, आबंटित, नियमित या अन्यथा अन्तरित किसी भी भूमि को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसे संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर, जो विहित किये जायें, पूर्ण स्वामित्व भूमि के रूप में संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'पूर्ण स्वामित्व' से दाय और अन्यसंक्रामण के अधिकार सहित शाश्वत धृति अभिप्रेत है।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में राज्य के नगरपालिक क्षेत्रों में भूमि का व्ययन पट्टाधृति आधार पर होता है। इससे आबंटिती को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। नगरपालिका अधिनियम में एक नयी धारा अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित है ताकि शाश्वत प्रकृति के आबंटिती को दाय और अन्यसंक्रामण के अधिकार सहित पूर्ण स्वामित्व का हक प्रदान किया जा सके। नगर सुधार न्यास और विकास प्राधिकरणों से संबंधित विधियों में समरूप उपबंध पहले से ही विद्यमान हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

श्रीचंद कृपलानी,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, ऐसे निबंधन और शर्तें तथा संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय को, जिनके अध्यधीन रहते हुए पट्टाधृति आधार पर विक्रीत, आबंटित, नियमित या अन्यथा अन्तरित किसी भी भूमि को पूर्ण स्वामित्व आधार पर संपरिवर्तित किया जा सकेगा, विहित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और साधारणतया ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

श्रीचंद कृपलानी,
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 13 of 2017

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (THIRD AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Third Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of section 73-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 73 and before the existing section 74 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), the following section shall be inserted, namely:-

"**73-A.Transfer to be on free hold or lease hold basis.-** (1) Every transfer of land under section 71 or section 73 shall be either on free hold basis or on lease hold basis.

(2) Any land sold, allotted, regularized or otherwise transferred on lease hold basis may be converted in free hold basis subject to such terms and conditions, and on payment of such conversion charges, as may be prescribed.

Explanation.- For the purposes of this section, 'free hold' means tenure in perpetuity with right of inheritance and alienation.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the municipal areas of the State presently land disposal is on the leasehold basis. This does not give complete ownership to the allottee. It is proposed to insert a new section in the Municipalities Act so as to provide free hold title to the allottee of perpetual nature with right to inheritance and alienation. Similar provisions already exist in the laws relating to Urban Improvement Trusts and Development Authorities.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

श्रीचंद कृपलानी,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for prescribing the terms and conditions and payment of conversion charges subject to which any land sold, allotted, regularized or otherwise transferred on lease hold basis may be converted in free hold basis.

The proposed delegation is of normal character and generally relates to the matters of detail.

श्रीचंद कृपलानी,
Minister Incharge.

2017 का विधेयक सं. 13

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(श्रीचंद कृपलानी, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 13 of 2017

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (THIRD AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Shrichand Kriplani, **Minister-Incharge**)